www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 30.01.2017

गैर अनुपातिक सम्पत्ति के मामले में बी.एस.एन.एल. के तत्कालीन सहायक महाप्रबन्धक को 27,00,000 रू. के जुर्माने सहित 03 वर्ष का कारावास

सीबीआई अदालत संख्या-4, अहमदाबाद (गुजरात) के विशेष न्यायाधीश ने गैर अनुपातिक सम्पत्ति को रखने पर भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.), भावनगर (गुजरात) के तत्कालीन सहायक महाप्रबन्धक श्री किरन प्रेमचन्द्र पटेल को दोषी ठहराया एवं उन्हें 27,00,000 रू. के जुर्माने सहित 03 वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई

सीबीआई ने बी.एस.एन.एल., भावनगर के तत्कालीन सहायक महाप्रबन्धक श्री किरन प्रेम चन्द्र ; उनकी पत्नी एवं पुत्र (दोनो ही प्राइवेट व्यक्ति) जिन्होने दिनांक 01.01.1997 से 13.01.2004 की जॉच अवधि के दौरान गैर अनुपातिक सम्पत्ति एकत्र की, के विरूद्ध मामला दर्ज किया। जॉच के पश्चात, अहमदाबाद की नामित अदालत में आरोपी व्यक्तियों के विरूद्ध जॉच अवधि के दौरान 29,84,640 रू. (लगभग) की राशि, जो कि उनकी आय का 148% अधिक था, की गैर अनुपातिक सम्पत्ति रखने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 109 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1) के तहत दिनांक 25.08.2006 को आरोप पत्र दायर किया।

विचारण अदालत ने उक्त आरोपी के विरूद्ध 27,00,000 रू. की राशि के गैर अनुपातिक सम्पत्तियों की सत्यता सिद्व करने के प्रमाण को स्वीकार किया एवं उन्हे दोषी ठहराया। अदालत ने उसकी पत्नी व पुत्र को बरी किया।

****